श्री जैल सिंह : म बागपत की बात को जानता हूं। आप भी जानते हैं और इस का क्या नतीजा निकलेगा, वह भी जानते हैं। पालीटीकल पार्टीज उस का क्या फ़ायदा उठाना चाहती हैं, यह भी जानता हूं। मासूम औरत की इज्जत को लेकर अपने हाथ में आप उस को उछाल रहे हैं। मैं इसको भी जानता हूं। क्या आप बता सकते हैं कि क्या मतलग था जलूस निकालने का, क्या मतलब था जलसा करने का। आप बताइए। अगर आप यह नहीं बताते, तो आप क्या करेंगे।

एक माननीय सदस्य : पुलिस अफसरों को गिरफ़तार क्यों नही किया गया ?

श्री चन्द्रजीत यादव : जानना चाहता हूं कि क्या आप स्टेटस होम मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाएंगे। अगर यह स्टेट सबजेक्ट है, तो आप स्टेटस के होम मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाइए और इस पर कार्यवाही कीजिए।

श्री जैल सिह : मैं आनरेबल श्री चन्द्रजीत यादव के सुझाव को पूरे गौर से देखूंगा। लेकिन मैं इतनी वात कहना चाहता हूं कि इस सबजेक्ट के लिए कानून कड़े करने के लिए, मजबूती से हाथ डालने के लिए समाज की कोआप्रेशन लेने के लिए इन बातों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मैंने एक पत्र भी लिखा है तमाम प्रान्तीय सरकारों और होम सेक्रेट्रियों की मीटिंग बुलायी है। उसमें हम इस पर विचार करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो होम मिनिस्टरों और चीफ मिनिस्टरों की मीटिंग भी बुलायी जाएगी और अपोजिशन के नेताओं से भी बात कर ली जाएगी। इससे मुझे खुशी होगी। लेकिन मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि कुछ टाइम मिलना चाहिए। हमें इन बातों को भी देखना चाहिए, और आपको मालूम होगा कि हिन्दुस्तान में कुछ ऐसी बातें होती रही हैं कि ऐसी घटनाओं को थानों में रजिस्टर नहीं किया जाता था। (व्यवधान) आप क्या कहना चाहते हैं, आप कह लीजिए। (व्यवधान) स्पीकर साहब, आनरेबल मेम्बर कुछ कहना चाहते हैं, वह क्या कहना चाहते हैं, पहले वह कह लें। (व्यवधान) आप बताइये, मैंने आपकी बात सुनी नहीं है। (व्यवधान)

(Interruptions) **

MR. SPEAKER: Not allowed. Whatever he says should not be recorded.

12.13 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATION UNDER COAL MINES PROVIDENT FUND AND MISCELLANEOUS PTOVISIONS ACT, 1948

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): I beg to lay on the Table a copy of Notification No GSR 361 published in Gazette of India dated the 29th March, 1980 making certain amendment to Notification No. G.S.R. 1013 dated the 28th July, 1979, under section 7A of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948. [*Placed in Library. See* No. LT—1037/80]

COMPANIES (AECCPTANCE OF DEPOSITS) THIRD AMDT. RULES, 1980 AND REPORT OF EXPERT COMMITTEE TO REVIEW COMPANLES ACT, 1956 AND MRTP ACT, 1969.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): I beg to lay on the Table:—

(1) A copy of the Companies (Acceptance of Deposits) Third Amendment Rules, 1980 (Hindi and English versions) published in Notification No. GSR 380(E) in Gazette of India dated the 24th June, 1980, under sub-section (3) of section 642 of the Companies Act, 1956. [*Placed in Library. See* No. LT—1028/80].

(2) A copy of the Report (Hindi* version) of the High-powered Expert Committee for review of the Companies Act, 1956 and the monopolies and Restrctive Trade Practices Act, 1969. [*Placed in Library. See* No. LT—1029/80].

**Not recorded.

*English version of the Report was laid on the Table on the 30th August, 1978.